RBE No. 199-2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A)2000 RG 6-41 21.11.2000

The General Managers(P),
All Indian Railways etc.,
(As per standard list).

Sub: Continuation of departmental proceedings against retired railway servants who were under suspension on the date of their retirement.

A case has come to the notice of this Ministry where a railway servant was under suspension on the date of his retirement and chargesheet was issued to him after his retirement from service by the General Manager under Rule 9 of RS(D&A) Rules. A question has arisen whether the chargesheet in the above case should have been issued under Rule 9 of RS(D&A)Rules or Rule 9 of RS(Pension)Rules and also whether the sanction of the President was not required as the chargesheet was proposed to be issued to a retired railway servant.

2. The matter has been examined in consultation with Finance Directorate and Legal Adviser of this Ministry. Attention of the Railways in this connection is drawn to the provisions contained in sub-rule 5(a) of Rule 9 of RS(Pension)Rules, 1993. These provisions stipulate that for the purpose of Rule 9 of these rules, the departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the railway servant or pensioner or if the railway servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date. In other words, in respect of a railway servant who was under suspension on the date of his retirement the departmental proceedings are deemed to be instituted on the date he was placed under suspension. Approval of the President for issue of chargesheet in such cases is therefore, not required as the departmental proceedings were already instituted before the retirement of the charged official and the charge memorandum can be issued by the Disciplinary Authority who would have issued the charge memorandum had the charged official been in service. In such cases, however, the proceedings continue under Rule 9 of Pension Rules. Since the power to continue the proceedings after retirement of the charged official is drawn from Rule 9 of Pension Rules, this fact, therefore, should also find a mention in the chargesheet issued in such cases.

3. It has, therefore, been decided that in cases where the railway servant was under suspension on the date of his retirement and the departmental proceedings are continued after his retirement from service and a charge memorandum is proposed to be issued to him in this connection, the first paragraph of the charge memorandum should read as under:

(Contd...2/-)

" In terms of order No._____ dt_____, Sh _____ was suspended from service w.e.f. _____ while he was still in service. In terms of Sub-rule (2) (a) read with Sub-rule 5(a) of Rule 9 of Railway Services (Pension)Rules, 1993, departmental proceedings instituted before the retirement of Shri _____ are deemed to be proceeding under Rule 9 of the Railway Services(Pension)Rules, 1993.

4. The rest of the charged memorandum should be in the standard format with para 1 renumbered as para 2 and so on, except that para 7 of the standard format should also not be included in these cases since this paragraph refers to conduct rules which are not applicable to retired railway employees.

Please acknowledge receipt.

(V. Valdehi)
Jt. Director Estt.(D&A)II
Railway Board

No. E(D&A)2000/RG 6-41

New Delhi, dated 21.3.2000

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (With 35 spare copies).
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chemsford Road, New Delhi (With 35 spare copies).
3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Railway Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Bhawan, New Delhi.
6. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O.Box, No. 2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

E(O)I, ERB-I, ERB-II, ERB-V, E(Rep)I, II & III, E(SCT) I & II, Vig-I, F(E)III and PR Branch of Railway Board's Office.

भारत सरकार आर बी ई सं.199/2000

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए) 2000 आर जी 6-41 21.11.2000

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: उन सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन थे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखना.

रेल मंत्रालय के नोटिस में एक मामला आया है जहाँ एक रेलवे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन था तथा रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 9 के तहत महाप्रबंधक द्वारा उसे उसकी सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र जारी किया गया था। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उपर्युक्त मामले में आरोप पत्र रेल सेवक (अनु एवं अपील) नियमों के नियम 9 के तहत जारी किया जाना है अथवा रेल सेवक (पेंशन) नियमों के नियम 9 के तहत जारी किया जाना है और यह भी कि क्या इसके लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी क्योंकि आरोप पत्र एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को जारी किया जाने का प्रस्ताव था।

इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय तथा विधि सलाहकार के परामर्श से मामले की जाँच की गई है। इस संबंध में रेलों का ध्यान रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के उप नियम 5 (क) में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। इन प्रावधानों

में बताया गया है कि इन नियमों के नियम 9 के प्रयोजन के लिए, विभागीय कार्यवाहियाँ उस तारीख से प्रारंभ [illegible] मानी जाएंगी जिस तारीख को रेलवे कर्मचारी अथवा पेंशनर को आरोपों का विवरण जारी किया जाता है अथवा यदि रेलवे कर्मचारी उस तारीख से पूर्व निलंबित होता तो निलंबन की तारीख दूसरे शब्दों में, उस रेलवे कर्मचारी के संबंध में, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन था, विभागीय कार्यवाहियाँ उसके निलंबन होने की तारीख से प्रारंभ मानी जाएंगी। अतः ऐसे मामलों में आरोप पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रपति जी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है क्योंकि आरोपित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले ही विभागीय कार्यवाहियाँ शुरू कर दी गई थी तथा आरोप ज्ञापन उस अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है जो आरोपित कर्मचारी के सेवा में होने पर उसे आरोप ज्ञापन जारी करता। लेकिन, इन मामलों में कार्यवाहियाँ पेंशन नियमों के नियम 9 के तहत जारी रहती है. चूँकि आरोपित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहियाँ जारी रखने की शक्तियाँ पेंशन नियमों के नियम 9 से ली जाती हैं, अतः इन मामलों में जारी किए गये आरोप पत्र में इस तथ्य का भी उल्लेख होना चाहिए।

3. अतः यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जिनमें रेलवे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन था और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाहियाँ जारी हैं तथा इस संबंध में उसे एक आरोप ज्ञापन जारी किए जाने का प्रस्ताव है तो आरोप ज्ञापन के पहले पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

दिनांक———— के आदेश सं. ———— के अनुसार श्री———— दिनांक———— से सेवा से निलंबनाधीन थे जबकि उस समय तक वे सेवा में थे। रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम9 के उप नियम 5 (क) के साथ पठित उप नियम (2) (क) के अनुसार, श्री———— की सेवानिवृत्ति से पहले प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाहियाँ रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के तहत कार्यवाही की [illegible] मानी जाए।

4. शेष आरोप ज्ञापन मानक फार्मेट में होना चाहिए जिसमें पैरा 1 का नंबर बदलकर पैरा 2 किया जाए तथा इसी प्रकार आगे नंबर बदल दिए जाएं, इसके सिवाय, इन मामलों में मानक फार्मेट के पैरा 7 को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह पैरा आचरण नियमों के बारे में है जो कि सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

कृपया पावती दें।

(वी. वैदेही)
संयुक्त निदेशक स्था (अनु एवं अपील) II
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (डी एंड ए)2000/आर जी 6-41 नई दिल्ली, दिनांक: 21.11.2000

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:-

1. महासचिव, स आई आर एफ, 4 रटेट एंट्री रोड, नई दिल्ली. (35 प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, एफ आर ओ ए, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपतराय मार्किट, दिल्ली 110006, पो. बा. न. 2032.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड